जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
ए0डी0आर0 भवन, बहराइच।

सूचना

स्थायी लोक अदालत बहराइच में सदस्यों का चयन होगा।

बहराइच–सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22बी के नियम (2) के अधीन स्थायी लोक अदालत बहराइच में 02 सदस्यों का चयन एवं नियुक्ति होनी है। वर्तमान प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त 02 अन्य सदस्यों की नियुक्ति 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी और इनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् यह पुर्ननियुक्ति के लिए अर्ह न होंगें। उक्त धारा22ए के नियम बी के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत के सदस्य पद के लिए **उपयोगिता सेवा** के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभवी व्यक्ति अर्ह होंगे। **उपयोगिता सेवा से अभिप्रेत है** कोई वायु, सड़क, जलमार्ग द्वारा व्यक्तियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या डाक, तार या टेलीफोन सेवा या ऐसा स्थापन जो जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय करता है, या लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली, या अस्पताल या औषधालय में सेवा, या बीमा सेवा, और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई सेवा सम्मिलित हैं जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार लोकहित में, अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उपयोगिता सेवा होना घोषित करें। उक्त उपयोगिता सेवा के अनुभवी इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र निर्धारित **अंग्रेजी प्रारूप पर ए4 साइज** के कागज पर हो जिसमें आवेदक का पूरा नाम अग्रेंजी भाषा के बड़े अक्षरों में। पिता/पति का पूरा नाम। वर्तमान पता। ,मोबाईल नम्बर व टेलीफोन नम्बर, ईमेल पता। स्थायी पता। जन्मतिथि, विज्ञाप्ति की तिथि पर आयु, महीने, दिवस। शैक्षिक योग्यताएं, (सभी अभिलेखों की स्वंप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाये)। अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधिक वाद/सिद्धदोष, यदि कोई हो, का विवरण शपथ पत्र पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। उक्त शपथ पत्र जो कि अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच को सम्बोधित हो जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि **मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र विशेष रूप से बिन्दु संख्या–7 जो कि अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधित वाद/सिद्धदोष से सम्बन्धित है के कोई भी तथ्य को छिपाया नही गया है। यदि भविष्य में कोई भी ऐसा तथ्य/परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसका पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व मेरा स्वंय का होगा।**, किसी भी विधिक सेवा संस्था/संस्थाओं/अन्य कोई संस्था/संस्थाओं में किये गये कार्य का अनुभव यदि कोई हो। अन्य कोई विशिष्ट योग्यता/योग्याताऐं/उपलब्धि/उपलब्धियां। आवेदन पत्र के दायी और आवेदक द्वारा अपने रंगीन फोटो जो स्वंहस्ताक्षरित हो चस्पा किया जायेगा। उक्त उक्त स्वंय भरा हुआ आवेदन पत्र हस्ताक्षरित दिनांकित एवं स्थान सहित दिनांक 03–11–2017 को सायं 4.00 बजे तक तारा महिला इण्टर कालेज के सामने नवीन ए0डी0आर0 भवन मे स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के कार्यालय में स्वयं अथवा डाक द्वारा जमा कर सकतें है। नियत तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बहराइच।
27-10-17

Proforma for the post of Member
Permanent Lok Adalats

(Established under section, 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987)
(To be filled personally by the applicant on A4 size paper)

Self attested photograph

1. Name: ....
   (Capital Letters)

2. Father's Husband's Name: ....

3. Present Address:...
   ....
   Mobile No & Landline No...
   Email Address..

4. Permanent Address: ....
   ....

5. Date of Birth: ....
   (Age as on the ... of advertisement
   Years.........Months.......Days..........

6. Educational Qualifications (attach self attested documents):
   ....

7. Disciplinary action/criminal case/convicted, if any,
   (provide details on Affidavit)
   ....

8. Experience if any of having worked
   in any Legal Services Institution(s)/any other Institution(s):
   ....

9. Any other special qualification(s)/achievement(s): ....

Date:
Place:

Signature of applicant